भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3015
(जिसका उत्तर सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक), को दिया जाना है)

आत्मनिर्भर पैकेजों के कार्यान्वयन पर हुआ व्यय

3015. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:
श्री के. नवासखनी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2020-21 के कुल बजट अनुमानों के अनुपात में 31 दिसंबर, 2020 तक आत्मनिर्भर पैकेजों 1.0, तथा 2.0 तथा 3.0 के घटकों के कार्यान्वयन पर कितना राजस्व व्यय हुआ;

(ख) वित्त वर्ष 2020-21 को कुल बजट अनुमानों के अनुपात में 31 दिसंबर, 2020 तक आत्मनिर्भर पैकेजों-1.0, 2.0 तथा 3.0 के घटकों के कार्यान्वयन पर कितना पूंजीगत व्यय हुआ; और

(ग) आत्मनिर्भर पैकेजों-1.0, 2.0 तथा 3.0 के घटकों के कार्यान्वयन हेतु वित्त वर्ष 2020-21 में कितना राजस्व व्यय हुआ?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): भारत सरकार ने दिनांक 13 मई, 2020 से दिनांक 17 मई, 2020, 12 अक्तूबर, 2020 और 12 नवंबर, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज क्रमश: 1.0, 2.0 तथा 3.0 की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कोविड-19 से लड़ने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से घोषित विभिन्न दीर्घकालिक योजनाओं/कार्यक्रमों/नीतियों का समावेश है। ये अधिकतर दीर्घकालिक उपाय हैं, जिनके परिणाम समुचित समय पर दिखाई देंगे। मंत्रालय/विभाग को उनके बारे में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित योजनाओं/कार्यक्रमों को तैयार करने, आवश्यक अनुमोदन लेने और बजट अनुमानों में प्रदान किए गए फंड में व्यय को पूरा करने और संशोधित अनुमानों में अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, कार्य करने का काम सौंपा गया है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजस्व/पूंजीगत शीर्ष के तहत किए गए व्यय का विवरण दर्शाने वाला विवरण जहां भी लागू हो, **अनुबंध- I और II** पर है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 तथा एमएसएमई [इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस)] के कारण लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज तथा गरीब कल्याण पैकेज के तहत भी लाभ प्रदान किया है। इसके तहत दिए गए लाभों को इंगित करने वाला विवरण **अनुबंध- III** में दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दिनांक 12 अक्तूबर, 2020 को राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना पर राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों (तमिलनाडु को छोड़कर-जिन्होंने अनिच्छा व्यक्त की है) ने नए तथा चल रहे पूंजी कार्यों/परियोजनाओं के लिए योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। असम के लिए आबंटन को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 450 करोड़ रुपए कर दिया गया है। योजना के भाग-I, भाग-II तथा भाग-III के तहत 10656.5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अब तक अनुमोदित किया गया है और राज्यों को पहली किस्त के रूप में 5328 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य द्वारा काम में न लाई गई 101 करोड़ रुपए की अवशिष्ट राशि भी अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर राज्यों को आबंटित की दी गई है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 15.03.2021 के लिए लोक सभा अतरीरंकित प्रश्न सं.3015 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम	योजना का नाम	राजस्व / पूंजी	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आवंटन	22.1.2021 तक व्यय	22.1.2021 के अनुसार व्यय (ब.अ. / सं.अ. के संदर्भ में %)
1.	वित्तीय सेवाएं विभाग	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (ईसीएलजीएस) (ईसीएलजीएस 1.0 और ईसीएलजीएस 2.0) के लिए सहायता	राजस्व	4000.00 करोड़	4000.00 करोड़	100
2.	-वही- तत्काल (सब्सिडी) पर 2% की ब्याज माफी	पर सिडबी को सब्सिडी	राजस्व	1232.00 करोड़	775.00 करोड़	62.91
3.	-वही-	शेयर पूंजी एक्जिम बैंक के लिए अंशदान	पूंजी	1300.00 करोड़	1300.00 करोड़	100
4.	-वही-	आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर दावों के निपटान के लिए ऋण	पूंजी	500.00 करोड़	0.00	0
5.(क)	-वही-	विशेष तरलता योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर दावों के निपटान के लिए ऋण	पूंजी	500.00 करोड़	0.00	0
(ख)	-वही-	रुपये 30,000 करोड़ नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी अनुदान	आरबीआई द्वारा विशेष विंडो बनाई गई है जिसके माध्यम से नाबार्ड रु. के अतिरिक्त पुनर्वित्त समर्थन का विस्तार करेगा। ग्रामीण सहकारी बैंकों और आरआरबी की फसली ऋण आवश्यकता के लिए 30,000 करोड़ रुपये से अधिक और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य पुनर्वित्त मार्ग के माध्यम से लगभग 3 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने के लिए - ज्यादातर छोटे और सीमांत किसानों के लिए नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली 90,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि। 22.01.2021 को रु. इस विशेष सुविधा से 25,000 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। शेष राशि रु. छोटे एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के लिए आरबीआई द्वारा नाबार्ड को आवंटित एसएलएफ के तहत 5000 करोड़। 22.01.2021 को, नाबार्ड ने रु. को मंजूरी दे दी है। इस कोष के अंतर्गत क्रमशः 992 करोड़ और रु.15 करोड़। डीएफएस में कोई अलग बजटीय प्रावधान नहीं।			
6.	-वही-	पीएम-किसान लाभार्थियों, मछुआरों और पशुपालन किसानों सहित केसीसी किसानों के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने के लिए विशेष संतृप्ति अभियान।	योजना कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण (डीएसी और एफडब्ल्यू) विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। केसीसी ड्राइव की मॉनिटरिंग डीएफएस द्वारा पीएसबी और नाबार्ड के परामर्श से की जाती है। 22.1.2021 को कुल कवरेज: रुपये की केसीसी क्रेडिट सीमा के साथ 185.34 लाख केसीसी 1.74 लाख करोड़ (लगभग)। डीएफएस की ओर से कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।			

7.	डीपीआईआईटी	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी)	राजस्व	1200.00 करोड़	1200.00 करोड़ [रु. पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए 1195 और रु. 5.00 जीआईए जनरल} के लिए।	स्कीम का 100% बीई 20-21 और कुल बीई 20-21 का 18.16% है।
8.	-वही-	जम्मू-कश्मीर उत्तराखंड , हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों सिक्किम स्थित इकाइयों को माल और सेवा कर व्यवस्था के तहत बजटीय समर्थन	राजस्व	1716.00 करोड़	1716.00 करोड़	स्कीम का 100% बीई 20-21 और कुल बीई 20-21 का 25.97% है।
9.	मत्स्य पशुपालन, एएच, डेयरी, (मत्स्य विभाग) मंत्रालय	पीएमएमएसवाई	स्कीम घटक राजस्व और पूंजीगत व्यय को अलग से कवर नहीं करता है।	560करोड	422.33 करोड़ (अनुबंध-मैं कम से राज्यवार सूची मैं)	84.46 है
10.	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत वित्तीय सुविधा	राजस्व	शून्य *	-	-
	* इस योजना के तहत, व्यय की निगरानी परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के लिए प्रशासनिक लागत, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण / ऋण संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों के लिए ब्याज और ऋण गारंटी के लिए की जाएगी।					
11.	पशुपालन और डेयरी विभाग	राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्व	-	515.72 करोड़	3967.00 है
12.	फार्मास्यूटिकल्स विभाग	फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	योजना को अधिसूचित किया जाना बाकी है			
13.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	प्रधानमंत्री की आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजना	योजना को अधिसूचित किया जाना बाकी है			
14.	भारी उद्योग विभाग	एडवांस केमिस्ट्री सेल बेटर	योजना को अधिसूचित किया जाना बाकी है			
15.	-करना-	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	योजना को अधिसूचित किया जाना बाकी है			
16.	इस्पात मंत्रालय	विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना	योजना को अधिसूचित किया जाना बाकी है			
17.	आर्थिक कार्य विभाग	रुपये 30,000 करोड़ एनबी एफसी के लिए विशेष लिक्विडिटी योजना/ एचएफसी/एमएफआई	₹71 के कुल, 25, 51,62,900/- 23 एनबीएफसी/ एचएफसीएस करने के लिए 28 उपकरणों के माध्यम से वितरित किया गया है। सभी उपकरणों के लिए interest 72,49,60,15,809 / - मूलधन और ब्याज की चुकौती			
18.	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	प्रधान मंत्री उद्यम योजना प्रसंस्करण माइक्रो भोजन की औपचारिक (पीएम-एफएमई स्कीम)	राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थानों को कुल राशि रु. 03,83,33,000/- जारी की गई है। (विवरण अनुबंध-1)			

अनुबंध- II

अनुबंध- I के क्रम संख्या 9 और 18 में उल्लिखित विवरण

		पीएमएमएसवाई	**प्रधानमंत्री-एफएमई योजना**
क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों (रु. लाख) को इस योजना के तहत स्वीकृत / जारी किया गया धन	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता (रु.)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	200.00	40,00,000
2.	आंध्र प्रदेश	4212.90	4,93,39,000
3.	अरुणाचल प्रदेश	790.61	15,34,000
4.	असम	2556.79	6,38,92,000
5.	बिहार	1709.17	5,04,52,000
6.	चंडीगढ़	-	40,00,000
7.	छत्तीसगढ़	2232.22	1,27,53,000
8.	दमन और दीव	0.00	40,00,000 (दादरा नगर हवेली सहित)
9.	दिल्ली	39.30	50,00,000
10.	गोवा	200.00	40,00,000
11.	गुजरात	893.70	3,91,43,000
12.	हरियाणा	903.78	2,02,94,000
13.	हिमाचल प्रदेश	742.91	58,61,000
14.	जम्मू और कश्मीर	२४६६.४.4	1,50,00,000
15.	झारखंड	1319.10	2,68,87,000
16.	कर्नाटक	3000.53	5,30,21,000
17.	केरल	800.00	1,95,56,000
18.	लद्दाख	-	40,00,000
19.	लक्षद्वीप	300.00	40,00,000
20.	मध्य प्रदेश	2273.58	5,16,26,000 रु
21.	महाराष्ट्र	3157.42	9,89,78,000 रु
22.	मणिपुर	1097.97	75,01,000 रु
23.	मेघालय	-	47,43,000 रु
24.	मिजोरम	100.00	24,93,000 रु
25.	नागालैंड	-	60,76,000 रु
26.	ओडिशा	2948.53	2,31,55,000 रु
27.	पुडुचेरी	990.50	40,00,000
28.	पंजाब	567.84	3,28,24,000 रु
29.	राजस्थान	210.82	3,26,37,000 रु
30.	सिक्किम	-	40,00,000
31.	तमिलनाडु	1938.61	5,39,90,000 रु
32.	तेलंगाना	779.34	2,31,13,000 रु
33.	त्रिपुरा	737.01	1,26,54,000 रु
34.	उत्तर प्रदेश	4951.19	18,59,85,000
35.	उत्तराखंड	912.61	78,26,000 रु
	कुल	**42232.9**	93,83,33,000 रु
			राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान - 5 करोड़ रु उद्यमिता और प्रबंधन और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान - 5 करोड़ रु **सकल योग: 1,03,83,33,000**

दिनांक 15.03.2021 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3015 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

अनुबंध-III

		पीएमजी एवाई		पीएमजीएवाई दलहन / चना		उज्वला		ईसीएलजीएस		एएनबी खाद्यान्न (प्रवासी के लिए)		एएनबी चना (प्रवासी के लिए)		पीएम किशन	पीएमजेडीवाई	24% ईपीएफ		एनएसएपी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	(भवन और निर्माण निधि)		डीएमएफ
नहीं।	राज्य	खाद्यान्न मात्रा (अप्रैल-नवंबर) एमटी	लाभार्थी	दलहन / चना मात्रा (अप्रैल - नवंबर) (एमटी)	लाभार्थी	अग्रिम या प्रतिपूर्ति के विरुद्ध दिया गया रिफिल	हस्तांतरित राशि (लाख में)	गारंटी नग	गारंटी राशि (करोड़)	खाद्यान्न (कुल) (एमटी)	लाभार्थी (कुल)	कुल मात्रा (मई - जून) (एमटी)	कुल लाभार्थी (मई - जून)	लाभार्थियों की नहीं	ए/सीका श्रेय नहीं	लाभार्थी	राशि (रु. लाख)	कुल लाभार्थी	लाभार्थियों की नहीं	कुल राशि (रु. लाख)	राशि (करोड़ रु.)
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	2,383	59,100	122	16,350	22,354	157	1,885	92	59.5	11,900	9	8,554	10,677	23,064	3,238.00	155.91	5,928	11,014	492	
2	आंध्र प्रदेश	9,95,500	2,61,12,304	66,492	90,28,190	7,62,024	5,163	2,46,973	7,489	7	1,360	0	0	46,95,820	60,13,565	1,85,152.00	11,651.14	9,32,661	19,67,484	19,675	131.48
3	अरुणाचल प्रदेश	30,642	7,98,490	1,034	1,77,210	76,658	518	2,181	63	799	1,59,758	34	33,730	66,323	1,80,119		0.00	34,139	3,000	60	
4	असम	9,77,964	2,48,73,000	45,456	57,86,440	52,70,571	36,257	5,30,121	2,444	15,712	31,42,380	638	6,37,953	18,61,715	95,34,385	9,772.00	252.73	8,40,984	2,70,000	2,700	0.65
5	बिहार	31,47,508	8,11,39,356	1,20,112	1,43,33,767	1,53,47,936	1,11,171	6,44,396	3,520	86,449	1,72,89,890	3,301	33,01,110	58,99,824	2,33,15,732	67,545.00	4,287.92	36,64,811	0	0	0.00
6	चंडीगढ़	10,167	2,59,080	486	63,670	246	2	6,326	780	145.8	29,160	7	7,056	429	1,10,537	23,805.00	2,034.29	3,415	6,670	400	
7	छत्तीसगढ़	7,89,804	1,94,31,064	39,632	51,49,800	39,71,169	32,416	1,35,622	3,528	1,964	3,92,860	174	1,74,448	21,67,441	78,57,012	84,417.00	6,404.33	8,52,275	0	0	4.36
															52,817			9,588	0	0	
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,568	2,58,328	519	65,240	25,360	169	2,882	287	159	31,800	12	11,980	13,531	17,387		0.00	1,376	0	0	
9	दिल्ली	2,72,775	6284047	13,690	17,54,513	1,95,912	1,263	89,128	11,815	4,544	9,08,880	351	3,51,100	12,075	20,30,271	41,521.00	3,642.58	1,56,436	39,600	3,960	
10	गोवा	20,585	5,14,412	1,066	1,42,550	2,108	14	11,562	631	22	4,320	2	1,600	7,854	69,987	16,563.00	1,265.92	2,061	5,117	307	
11	गुजरात	12,76,713	31784856	50,026	65,09,333	49,09,689	32,592	2,84,716	18,997	287	57,312	20	20,253	46,85,062	71,08,005	2,70,988.00	18,510.49	6,88,953	4,83,196	4,832	22.00
12	हरियाणा	4,50,912	1,11,90,324	18,812	24,27,3	15,15,2	9,902	1,54,	9,444	7,959	15,91,770	465	4,65,06	15,14,497	34,16,299	83,035.00	6,403.61	3,27,269	3,50,621	17,531	15.85

					33	79		876					0								
13	हिमाचल प्रदेश	1,06,429	27,72,352	4,790	6,73,667	2,92,574	1,965	46,102	1,342	2,028	4,05,516	112	1,11,700	8,70,609	5,84,184	48,762.00	3,629.35	1,11,863	1,21,281	7,461	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	2,82,312	69,15,000	13,208	16,44,090	20,09,414	14,574	66,631	1,841	1,958	3,91,600	131	1,31,080	9,20,451	10,49,256	43,121.00	2,055.78	143289 (including Ladakh)	1,55,975	4,679	0.43
15	झारखंड	8,83,433	2,40,94,622	44,593	57,11,600	53,60,642	37,520	2,39,019	2,396	717	1,43,436	1,059	10,59,140	12,31,912	72,27,042	1,05,631.00	7,666.54	12,88,850	0	0	9.66
16	कर्नाटक	15,41,056	3,86,45,940	80,975	1,27,22,730	57,07,480	37,831	4,45,454	13,045	11,600	23,20,014	2,055	20,55,380	48,39,093	79,87,088	3,19,389.00	24,924.83	13,98,410	13,62,438	68,122	118.09
17	केरल	5,87,791	1,49,27,032	27,956	35,91,483	5,11,114	3,323	3,99,278	7,076	2,142	4,28,300	307	3,06,897	27,16,844	24,13,289	1,21,319.00	9,250.22	6,88,329	4,54,124	4,541	0.00
18	लद्दाख	5,645	1,41,480	233	29,008	19,172	166	994	43	33	6,548	0	0	0	9,951	247.00	21.08	Included in J&K above	Included in J&K above	0.00	
19	लक्षद्वीप	864	21,800	39	5,200	517	3	355	2	15	2,900	5	4,530	0	2,867		0.00	324	520	33	
20	मध्य प्रदेश	18,00,437	4,93,09,348	77,890	96,95,633	1,13,35,496	77,378	3,73,685	6,966	1,754	3,50,797	159	1,59,330	68,12,020	1,66,22,091	1,69,059.00	10,711.54	22,05,963	8,91,850	17,837	5.10
21	महाराष्ट्र	25,27,129	6,82,50,268	1,03,643	1,32,15,103	76,20,813	50,513	7,99,050	30,324	17,315	34,63,000	762	7,62,170	86,32,718	1,29,47,062	4,76,836.00	31,528.87	11,68,385	8,94,408	17,888	59.50
22	मणिपुर	90,747	20,47,906	4,192	5,87,503	2,76,213	2,120	9,880	110	676	1,35,200	82	82,348	2,83,457	5,04,169		0.00	61,972	52,605	526	
23	मेघालय	85,803	21,45,145	3,145	4,21,503	1,96,213	1,408	11,169	153	2,145	4,29,000	84	84,300	1,15,638	2,68,908	73,342.00	2,224.82	54,127	24,730	1,237	
24	मिजोरम	25,288	6,62,132	1,243	1,55,405	55,270	420	3,653	52	250	50,000	30	29,750	69,425	58,176		0.00	27,538	51,451	1,544	
25	नागालैंड	53,964	14,04,600	2,276	2,84,940	89,967	593	7,179	57	1,405	2,80,926	56	56,000	1,81,008	1,57,792		0.00	49,210	19,046	381	
26	ओडिशा	12,06,580	2,88,37,690	74,941	95,19,513	83,65,761	57,172	8,51,068	4,090	630	1,26,000	15	15,130	20,03,185	81,21,020	1,62,121.00	10,148.60	20,27,022	20,83,288	31,249	99.49
27	पुडुचेरी	23,211	5,97,945	1,273	1,78,500	31,098	203	11,402	331	73	14,680	15	15,000	9,715	83,926	16,456.00	1,011.52	28,757	0	0	
28	पंजाब	5,33,154	1,33,65,720	27,751	35,47,747	24,53,238	16,351	1,86,810	6,949	10,902	21,80,400	1,016	10,15,720	17,52,498	33,22,186	79,150.00	5,054.89	1,40,404	2,89,237	17,354	0.65
29	राजस्थान	17,52,646	4,44,44,332	75,043	99,94,240	1,11,23,374	73,858	2,99,445	10,791	42,478	84,95,600	2,003	20,03,000	51,64,391	1,56,13,962	1,23,266.00	7,946.42	9,87,781	22,30,000	55,750	15.93
30	सिक्किम	14,479	3,65,120	614	93,817	21,301	165	8,380	86	315	63,000	15	15,042	0	42,552		0.00	18,332	7,836	157	
31	तमिल नाडु	12,31,653	2,97,45,840	33,324	1,11,07,920	61,85,688	41,390	5,39,177	20,904	1,449	2,89,888	34	34,000	35,59,533	60,75,989	5,81,768.00	34,570.97	18,14,700	13,70,601	27,412	14.73
32	तेलंगाना	7,24,662	1,80,62,980	15,804	52,68,030	18,74,171	13,036	1,30,127	8,682	180	35,991	34	34,460	33,31,468	52,60,800	1,78,225.00	10,233.62	6,65,956	8,30,324	12,455	0.00
33	त्रिपुरा	94,893	23,73,722	4,420	5,40,847	4,46,819	3,747	60,650	240	22	4,386	22	21,929	1,90,441	4,31,770		0.00	1,38,473	39,082	1,172	
34	उत्तर प्रदेश	56,16,735	14,19,99,424	2,69,530	3,34,08,790	2,70,74,796	1,81,728	6,45,805	13,540	11,809	23,61,848	1,060	10,60,497	1,76,75,849	3,18,13,530	2,30,453.00	15,741.60	52,57,390	18,25,415	35,395	0.46

35	उत्तराखंड	2,37,842	58,95,600	10,736	13,44,657	7,62,313	5,015	65,879	1,910	383	76,554	34	33,800	6,74,688	12,67,372	41,863.00	3,234.58	2,15,109	2,28,423	4,568	3.49
36	पश्चिम बंगाल	23,39,724	5,83,10,164	91,452	1,40,19,333	1,72,88,933	1,16,938	18,78,146	11,346	45,894	91,78,800	2,647	26,46,760	0	1,89,95,377	4,28,442.00	21,132.39	21,32,959	21,98,349	21,983	0.46
	कुल	**2,97,51,729**	**75,80,40,523**	**13,26,516**	**18,32,15,657**	**14,12,01,683**	**9,67,041**	91,90,006	2,01,364	**2,74,279**	**5,48,55,773**	**16,751**	**1,67,50,807**	**8,94,54,616**	**20,65,00,000**	**39,85,486.00**	**2,55,696.54**	**2,81,45,039**	**1,82,67,685**	**3,81,702**	**502.33**